

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 3
	राजस्व विविध वाद सं०-29 / 2021-22 परवीन सुलताना पति- सत्तारूल —: आदेश :— यह वाद अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक-1213/रा० दिनांक-26.11.2021 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है मौजा- संग्रामपुर, थाना नं०-75, अन्तर्गत खाता नं०-317, दाग सं०-688, रकवा-00बी०-03क०-13धूर एवं दाग सं०-689 रकवा-00बी०-03क०-13धूर, दाग सं०-693 रकवा- 00बी०-00क०-12धूर एवं दाग सं०-1188 रकवा-01बी०-01क०-16धूर, भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूखण्ड की आवेदिका द्वारा नामांतरण कर पंजी-।। सृजित किया जाना है। प्रतिवेदन के साथ प्रश्नगत केवाला की छायाप्रति अभिलेखबद्ध है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- संग्रामपुर, थाना नं०-75, अन्तर्गत खाता नं०-317, दाग सं०-688, रकवा-00बी०-03क०-13धूर एवं दाग सं०-689 रकवा-00बी०-03क०-13धूर, दाग सं०-693 रकवा- 00बी०-00क०-12धूर एवं दाग सं०-1188 रकवा-01बी०-01क०-16धूर, भूमि सर्वे खतियान में खतियानी रैयत रजुल विश्वास व सहतुल विश्वास व मकबुल मुनसी व कालू विश्वास व रुखसद विश्वास सभी के पिता- अताबदी मंडल सा०- निजग्राम के नाम से दर्ज है। वर्तमान में खतियानी रैयत के पौत्रगण के द्वारा निबंधित केवाला सं०-3026 दिनांक- 12.08.2002 के माध्यम से लोकमान शेख, पिता- मरहुम महसीन शेख, सा०- संग्रामपुर को मौजा- संग्रामपुर के खाता सं०-317 दाग सं०-1188 रकवा-01बी०-01क०-16धूर तथा खाता सं०-318, दाग सं०-1189 रकवा- 00बी०-00क०-12धूर भूमि खरीद कर लोकमान शेख के द्वारा निबंधित दस्तावेज सं०-2070 दिनांक-20.05.2009 के माध्यम से आवेदिका परवीन सुलताना, पति- सातारूल शेख सा०- संग्रामपुर के पास बिक्री कर दखल दिया है। आवेदिका परवीन सुलताना द्वारा उपरोक्त कय की गयी भूमि को अपने नाम से नामांतरण कराना चाहती है परन्तु राजस्व पंजी-।। में खाता सं०-317 दाग सं०- 1188 में रकवा-	

01बी0-01क0-16धूर भूमि पंजी-॥ रैयत रजुल विश्वास वगैरह के नाम से दर्ज नहीं है, जिसके कारण नामांतरण नहीं हो पा रहा है। राजस्व पंजी-॥ के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाता सं0-317 दाग सं0-688, 689, 693 एवं 1188 अलग-अलग होल्डिंग सं0- 1050, 1873, 1897, 1935 एवं 317 में जमाबंदी कायम है। स्थल जाँच के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि मौजा-संग्रामपुर के खाता सं0-317 दाग सं0-1188 रकवा-01बी0-01क0-16धूर भूमि पर क्रेता (आवेदिका) परवीन सुलताना का दखल कब्जा है। इस कार्यालय द्वारा मौजा संग्रामपुर के सोलह आना रैयतों को प्रोसेस पियून के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ से पत्रांक-71/रा0 दिनांक- 24.01.2022 से पंजी-॥ की हस्तलिखित छायाप्रति प्राप्त है। के आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा- संग्रामपुर के खाता सं0-317 दाग सं0-1188 रकवा-01बी0-00क0-08धूर भूमि के प्रश्नगत भूखण्ड की पंजी-॥ सृजित करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, पाकुड़ के अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत मौजा-संग्रामपुर के खाता सं0-317, दाग सं0-688, रकवा-00बी0-03क0-13धूर एवं दाग सं0-689 रकवा-00बी0-03क0-13धूर, दाग सं0-693 रकवा-00बी0-00क0-12धूर एवं दाग सं0-1188 रकवा-01बी0-01क0-16धूर, भूमि जमीन की जमाबन्दी पंजी-॥ में नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में कायम करने की स्वीकृति दी जाती है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समिति,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप समिति,
पाकुड़।